न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 469A/2015

वादीगण :-

1. कानाराम पुत्र अनाराम
2. धर्माराम पुत्र दुदाराम
3. मैना पुत्री दुदाराम

जातियान-मेघवाल, निवासी-निमाज
तहसील-जैतारण जिला-पाली(राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

गोकलराम वल्द गणेश फौत
के कायम मुकाम :-

1. धर्माराम वल्द गोकलराम
2. आशाराम वल्द गोकलराम
3. भेराराम वल्द गोकलराम
4. हिन्दुलाल वल्द गोकलराम
5. इन्द्रप्रसाद वल्द गोकलराम
6. गोदीदेवी पत्नि गोकलराम

जातियान-मेघवाल निवासी-निमाज
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.18.11.2015

उपस्थितः- 1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुगनचन्द सतनामी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 31/01/2017

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण की सीमा में वक्त सैटलमेन्ट के खसरा नम्बर 959 रकबा 8-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 के पिता व वादीगण संख्या 2 व 3 के दादा के नाम खातेदारी की हैं। नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 तक साथ पेश हैं। बाद बन्दोबस्त के जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 अनुसार उक्त कृषि भूमि में अन्ना वल्द मंगा ने कुआ खुदवा लिया, जो कुआ के खसरा नम्बर 959/1 रकबा 01 बिस्वा व मूल खसरा नम्बर 959 का रकबा 8-15 बीघा रहा। इस प्रकार यह इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 में हैं। यही इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 में हैं और इस जमाबन्दी में अन्ना वल्द मंगा का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 773 के दुदा व काना पिसरान अन्ना अमल दरामद किया गया। अना के वारिसान का यह इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 संवत् 2036 से 2039, 2041 से 2044, 2045 से 2048 तक चलता रहा। तमाम जमाबन्दीयों की नकले साथ पेश किया हैं। जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 के दौरान उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 959 रकबा 8-15 बीघा में से रकबा 5-05 बीघा का बेचान गोकल वल्द गणेश भांबी को तत्कालीन खातेदार काना व दुदा ने कर दिया। जिसका म्यूटेशन नम्बर 1877 पारित किया गया। इस प्रकार से वादीगण के कब्जे व खातेदारी में खसरा नम्बर 959 मीन रकबा 3-00 बीघा व खसरा नम्बर 959/1 रकबा 0-1 बीघा नया बेरा कुल 2 रकबा 3-01 बीघा कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही। गोकल वल्द गणेश जो प्रतिवादीगण का पिता हैं। बेचान रिजस्ट्री

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अनुसार खसरा नम्बर 959 रकबा 5-15 बीघा का अमल दरामद किया गया। नकल जमाबन्दीयां व म्यूटेशन साथ पेश की हैं। म्यूटेशन संख्या 1877 पारित होने के पश्चात् वादीगण संख्या 1 काना व वादीगण संख्या 2 व तीन के पिता दुदा के नाम जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 में कृषि भूमि रकबा 3-00 बीघा व बेरा रकबा 0-01 बीघा कुल रकबा 3-01 बीघा खातेदारी दर्ज हैं। यह इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 में भी दर्ज हैं। नकल जमाबन्दीयाँ साथ पेश की हैं। जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 अनुसार दुदा वल्द अना का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन नम्बर 3139 अनुसार वादीगण संख्या 2 व तीन तथा दुदाराम की बेवा गजराई के नाम अमल दरामद किया गया। इस दौरान के गजराई का नाम हटाया गया। यह अमल दरामद जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में दर्ज हैं। गजराई व दुदाराम के मृत्यु प्रमाण-पत्र फोटो प्रतियाँ साथ पेश की हैं। जमाबन्दीयाँ की नकले साथ पेश की हैं। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में अमल दरामद वादीगण के नाम बतौर खातेदार के दर्ज हैं। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 959/1 रकबा 00-01 बिस्वा व खसरा नम्बर 595/2 रकबा 3-00 बीघा कुल खसरा-2 कुल रकबा 3-01 बीघा हैं। इस प्रकार वादीगण जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण के नाम संवत् 2069 से 2072 की जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 959 रकबा 5-15 बीघा अलग खातेदारी दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 साथ पेश की हैं। प्रतिवादीगण उनके पिता गोकल वल्द गणेश को किये गये बेचान अनुसार उनका खाता अलग कर दिया, तो भी उक्त बेचान के आधार से वादीगण की कब्जे काश्त की जमीन स्वयं की झूठा खरीद सुदा बताकर वादीगण के कब्जे काश्त में दखल दे रहे हैं। धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारा इस जमीन में कोई हक अधिकार नहीं हैं। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण की कृषि भूमि अलग-अलग खातों में जमाबन्दी अनुसार दर्ज हैं। दिनांक 06/11/2015 ग्राम्-निमाज में प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी। प्रतिवादीगण शक्ति व लाठी के बल पर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन पर नाजायज तौर से दखल कर रहे हैं एवं वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं तथा धमकीया देते हैं। इसलिये प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद-पत्र पेश किया हैं। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा की जमीन व इनका कुआ एक चक में ही एक जगह स्थित हैं। प्रतिवादीगण जबरन नाजायज तौर से लाठी के बल उक्त कुआ व वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं हैं। अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल होते हैं, तो लडाई झगड़ा होगा, विविध मुकदमेंबाजी होगी। इसलिए इस आधार से भी वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बिनायवाद दिनांक 06/11/2015 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को ऐलानिया बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम-निमाज, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। वकील प्रतिवादीगण जबाबदावा पेश करने का समय चाहा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हैं। अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।

पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। राजस्व अभिलेख से वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। लिहाजा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज–प्रथम, तहसील–जैतारण की सीमा में वक्त सैटलमेन्ट के खसरा नम्बर 959 रकबा 8–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 31/01/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. कानाराम पुत्र अनाराम
2. धर्माराम पुत्र दुदाराम
3. मैना पुत्री दुदाराम

जातियान–मेघवाल, निवासी–निमाज
तहसील–जैतारण जिला–पाली(राज0)

गोकलराम वल्द गणेश फौत
के कायम मुकाम :–

1. धर्माराम वल्द गोकलराम
2. आशाराम वल्द गोकलराम
3. भेराराम वल्द गोकलराम
4. हिन्दुलाल वल्द गोकलराम
5. इन्द्रप्रसाद वल्द गोकलराम
6. गोदीदेवी पत्नि गोकलराम

जातियान–मेघवाल निवासी–निमाज
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:469A/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–......... व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सुगनचन्द सतनामी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निमाज–प्रथम, तहसील–जैतारण की सीमा में वक्त सैटलमेन्ट के खसरा नम्बर 959 रकबा 8–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2017 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01–00	स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	—	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः–	05–00	मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner